न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/113

गीलानाथ पुत्र गोपाल नाथ निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अपीलांट

बनाम

1. सुन्दरलाल आत्मज गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी दुगारी तहसील नैनवा जिला बून्दी राज.(मृतक) जरिये कायम मुकामान
   1/1–जितेन्द्र कुमार आत्मज सुन्दरलाल जाति महाजन
   1/2–दिनेश कुमार आत्मज सुन्दरलाल जाति महाजन
   1/3–विनोद कुमार आत्मज सुन्दरलाल जाति महाजन
   1/4–राजेश बाई पुत्री सुन्दरलाल पत्नि महावीर जाति महाजन
   1/5–बदाम बाई पत्नि सुन्दरलाल जाति महाजन निवासीगण ग्राम दुगारी तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी
3. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर बून्दी राज0।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2.श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 14.10.2024**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 86/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम दुगारी तहसील नैनवाँ मे भूमि खसरा संख्या 4835/703 रकबा 0.9708 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का प्रार्थी

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

खातेदार कृषक है व काबिज चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि मे जाने का अर्वालीन रास्ता ग्राम दौलतपुरा से रघुनाथपुरा लिंक रोड मे जाने वाले रास्ते से फटकर पश्चिमी ओर चलकर भूमि खसरा संख्या 4835/703 पर पहुंचता है। यह रास्ता सैकडो वर्षों से चला आ रहा है। इस रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से बताया गया है। यह रास्ता 12 फीट चौडा है जो सकडा पडता है। आवागमन में परेशानी होती है। इस कारण इसे 15 फीट चौडा किया जाना चाहिए । इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे पहुंचने का नहीं है। प्रार्थी को इस रास्ते पर होकर अपने खातेदारी भूमि मे आवागमन करने, हल, कुली, बैलगाडी, ट्रेक्टर व अन्य कृषि यन्त्र लाने ले जाने रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने का हक अधिकार व सुखाधिकार भी प्राप्त हो चुका है। परिशिष्ट "अ" को भी प्रार्थना पत्र का भाग माना जावे । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित रास्ता नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेखो मे नही दर्शाया गया है इस कारण आये दिन कोई न कोई वादी को परेशान करने लग जाता है। प्रार्थी वमुश्किल रास्ता बनाये हुए है इस रास्ते को नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेखो मे रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में कितनी ही मर्तबा प्रत्यार्थीगण से निवेदन किया तो प्रत्यार्थीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी। प्रार्थी रास्ता घोषित करने मे जिसकी भी भूमि बीच में आती है उसका युक्ति युक्त प्रतिकर अदा करने को तैयार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित एवं परिशिष्ट "अ" मे लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे पहुंचने का रास्ता घोषित किया जाकर जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व अन्य राजस्व अभिलेखो मे मे दर्ज किया जावे। त द्नुसार आवश्यक संशोधान किया जावे ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.12.2023 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 5069/703 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को नही रही है, क्योकि वह उक्त प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नही था। दिनांक 9–6–2024 को मौके पर रास्ता निकालने के लिए हल्का पटवारी पहुंचे और उनके द्वारा अपीलाण्ट के रास्ते को अवरूद्ध करने लगे, तब अपीलाण्ट व पटवारी हल्का एवम पक्षकारों के मध्य वार्तालाप के बाद यह तथ्य आया है कि यह न्यायालय के आदेश से हो रहा है, तब अपीलांट ने दिनाक 10–06–2024 को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता नकल हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया और उसी दिन नकल प्राप्त कर अविलम्ब उक्त अपील सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार न होने व जानकारी न होने के कारण हुआ है, जो सद्भाविक होने से क्षम्य किये जाने योग्य है, अपील पेश करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन किया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील सुनवाई हेतु ली जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करे।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना–पत्र बउनवान सुन्दरलाल बनाम सरकार में पक्षकार नहीं था। प्रार्थना–पत्र का निर्णय दिनांक 22.12.2023 को किया गया है, उक्त निर्णय से प्रार्थी व्यथित है, क्योंकि जहां से रास्ता दिया गया है, उस रास्ते के समीप प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी इसी रास्ते की भूमि से आता–जाता है। पास में ही जानवरों के लिये पाल की खेल बनाई हुई है जिस पर गांव के जानवर पानी पीते है, यदि जहां से रास्ते का आदेश दिया है, वह रास्ता बहाल रहता है तो

खेल पर पानी पीने के लिये जाने वाले जानवरों को असुविधा होगी, तथा प्रार्थी को भी अपने खेत से मेन रोड तक आने में रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि रेस्पोडेन्ट उक्त रास्ते पर बाढ़बन्दी कर रहे है, जिस कारण प्रार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश के विरूद्ध अपील करना आवश्यक हो गया है। इसलिये अपील प्रस्तुत हुई है, उक्त अपील में प्रार्थी अपीलांट पीड़ित पक्षकार है। इसलिये प्रार्थी अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की है जिसके लिये प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि एव संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की काबिज काश्त की कृषि आराजी जिस पर बरसो से अपीलांट काबिज काश्त रहकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है, जहां पर अपीलांट ने पानी की खेल सार्वजनिक जानवरो को पानी पिलाने के लिए बना रखी थी, जिसको नियमित अपीलांट अपने कुऐ से भरता रहा था। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में उक्त पानी की खेल मौके पर स्थित होने व अपीलांट की कृषि भूमि भी पास ही होने जहां से अपीलांट आता–जाता है, इन सब तथ्यो को भिन्न जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित कर रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य ळें रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत–5 के जो खाते की आराजी है, वह पूर्व से ही रास्ते से लगवा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उस स्थान से भिन्न जाकर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जहां से रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है. वह राजकीय सिवायचक भूमि है और सिवायचक भूमि पर वैसे भी सब को आने–जाने का अधिकार होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में पृथक से रास्ता बनाये जाने में उक्त निर्णय से अपीलांट व्यथित है, क्योकि जहां से रास्ता दिया है, वहां पर अपीलांट की कृषि आराजी है और स्वयं भी अपीलांट भी आता–जाता है। अपीलांट का भी पूर्व में वही पर से आने–जाने का रास्ता है। निर्णय की रोशनी में यदि पृथक से रास्ता कायम कर दिया जाता है तो अपीलांट को अपने रास्ते से मरहूम होना पडेगा। रेस्पोडेन्ट स्वयं द्वारा रास्ता प्राप्त करने के आधार पर उस पर तारबन्दी कर देगे और अपीलांट को आने–जाने में काफी असुविधा होगी। अपीलांट के पास में अपनी कृषि भूमि पर आने–जाने के लिए अन्य कोई सुलभ रास्ता नही है। पानी की खेल के पास से ही अपीलांट अपने खेत पर आता–जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

था, जिस कारण वह अपना समुचित पक्ष नही रख पाया, तहसील रिपोर्ट में भी अपीलांट अपना पक्ष नहीं बता सका, जिससे एक तरफा रिकॉर्ड प्राप्त होने पर निर्णय पारित हुआ है, न्यायहित में अपीलाण्ट को सुना जाकर अपीलांट के रास्ते से पृथक से रास्ता दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है और अपीलांट का रास्ता भी बहाल रखना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट को अपील करना आवश्यक हो गया है, इस कारण से अपीलाण्ट उक्त अपील सम्माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिवायचक आराजी से रास्ता दिया है, न्यायालय निर्णय के आधार पर सरकारी भूमि की किस्म को परिवर्तित करने का अधिकार जिला कलेक्टर महोदय व राज्य सरकार को है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया अपने क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.12.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी उचित हो वह भी प्रदान फरमाने की कृपा करे।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता खसरा नम्बर 5069/703 की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में रिपोर्ट तलब की। प्रश्नगत रास्ते की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई । उक्त रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 5069/703 की भूमि में होने का अंकन है। उक्त रिपोर्ट विधि अनुसार तैयार की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता खसरा नम्बर 5069/703 की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 5069/703 की भूमि के समीपस्थ अपीलांट कें खाते की भूमि है तथा प्रश्नगत अपीलांट द्वारा पानी की खेल बनाई हुई है साथ ही अपीलांट प्रश्नगत खसरा नम्बर 5069/703 की भूमि से होकर अपने खाते की भूमि में होकर आवागमन करता है जिसे रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड़ में अवरूद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 से प्रभावित पक्षकार होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 की जानकारी नहीं हो सकी। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2023 की जानकारी नहीं होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

प्रश्नगत रास्ता खसरा नम्बर 5069/703 की भूमि में से कायम किया गया है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार ग्राम दुगारी तहसील नैनवां की प्रश्नगत खसरा नम्बर 703 की भूमि झाड झंखाड वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि प्रश्नगत भूमि चारागाह दर्ज रिकॉर्ड होकर सरकारी भूमि है अतः प्रश्नगत प्रकरण में पैरोकार सरकार का जवाब लिया जाना कानूनन आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वास्ते जवाब नियत नहीं कर सीधे ही रास्ते की रिपोर्ट हेतु नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैरोकार सरकार का जवाब लिए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22.12.2023 कायम किया गया है। हमारे मत में प्रश्नगत खसरा नम्बर 5069/703 चारागाह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है तथा कानूनन प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत खसरा नम्बर 5069/703 की चारागाह भूमि मे

रास्ता कायम किए जाने का निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया है जो पैरोकार सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। हमारे मत में प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार नैनवां से जवाब लिया जाकर, प्रश्नगत खसरा नम्बर 5069/703 की चारागाह भूमि के सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट लिए जाने के उपरांत कानूनी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 86/2022 में पारित निर्णय 22.12.2023 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार कायम करे। तहसीलदार नैनवां से जवाब प्रार्थना–पत्र लेकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 के प्रकाश में नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.11.2024 को स्वयं उपस्थित रहे। निर्णय की एक प्रति जिला कलक्टर बूंदी को प्रेषित की जावे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/X/24

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा